का॰ज्ञ॰सं॰ 17/5/88-रा॰भा॰(सेवा), दिनांक 6.4.1988

विषय: प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 2.12.87 को हुई केंद्रीय हिंदी समिति की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 5.5 (2) पर कार्रवाई।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 2.12.1987 को हुई केंद्रीय हिंदी समिति की 21वीं बैठक में ''हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति की सुविधा'' विषय पर विचार किया गया था। इस संबंध में बैठक के कार्यवृत्त के संबंधित, उद्धरण, अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:-

> ''श्री के॰ राधा कृष्णमूर्ति ने हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर बाकी कर्मचारियों/अधिकारियों की अपेक्षा कम होने का जिक्र किया। इस बारे में उन्होंने रेल मंत्रालय का उदाहरण दिया जिसमें हिंदी अधिकारी को बाकी अधिकारियों की अपेक्षा उन्नति के बहुत कम अवसर है। डा॰ सरग कृष्णमूर्ति ने भी विभिन्न विभागों में हिंदी अधिकारियों की पदोन्नति के बहुत कम अवसर की बात कही, जिससे उनका कार्य में मनोबल गिरता है। सचिव, राजभाषा ने बताया कि कुछ मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर जो, इस सेवा में शामिल नहीं हुए है, सभी मंत्रालय/विभागों में हिंदी के पदों के लिए केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा बना दी गई है। जिसमें अधिकारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर हैं और उनके अनुसार पदोन्नतियां भी दी गई है सदस्यों ने सुझाव प्रकट किया कि जो विभाग इस सेवा में शामिल नहीं हुए और सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का काम पूरी दिलचस्पी से कर सकें।''

2. कुछ मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के हिंदी पद शामिल हैं। सेवा में शामिल हिंदी पद निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुवादक तथा कनिष्ठ अनुवादक के श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। प्रत्येक श्रेणी के पदों की पर्याप्त संख्या होने के कारण सेवा के सदस्यों के लिए पदोन्नति में समुचित अवसर उपलब्ध हैं। राजभाषा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि ऐसी स्थिति अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के कार्य से संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदों के लिए केंद्रीय सचिवालय राजभाषा के समान सेवा बनाना संचालन संबंधी कारणों से संभव नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ कार्यालय भारत के प्रत्येक राज्य में दूर-दूर जगहों पर फैले हुए है। किसी ऐसे संवर्ग का गठन प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं है।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों के बारे में जांच करें और यदि ये अवसर अपर्याप्त हैं तो उन्हें बढ़ाने के उपाय करें जिससे हिंदी पदों पर कार्यरत व्यक्ति राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का काम पूरी लगन व निष्ठा से कर सकें जो विभाग/मंत्रालय संबद्ध कार्यालय केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल नहीं हैं, वे भी इस प्रकार की जांच अपने-अपने कार्यालयों में हिंदी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में कर लें।

4. वित्त मंत्रालय आदि से यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त पैरा-3 में दिए गए सुझाव के संबंध में की गई कार्यवाही से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराया जाए।